निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SR-35/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपनिबन्धक-द्वितीय, हल्द्वानी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपनिबन्धक-द्वितीय, हल्द्वानी के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रमेश कुमार केशरी एवं श्री अजय कुमार मिश्रा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 16.06.2017 से 27.06.2017 तक श्री अशोक कुमार, व0 लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-II

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री अंशुमन अग्रवाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 18.05.16 से 23.05.16 तक श्री राजकुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 10/2014 से 03/2016 तक एवं व्यय हेतु माह ..... से ..... तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई कके क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः – दस्तावेजों का पंजीकरण एवं तहसील –हल्द्वानी, कालाढूगी एवं लाल कुआं के समस्त राजस्व ग्राम।

   (ii) (अ) **राजस्व विवरण :**

   विगत वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	1521.56
2015-16	2398.96
2016-17	2168.06

(ii)(ब) **बजट का विवरण:-**

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(` लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)`**	**बचत (-)`**
	स्थापना `	**गैर स्थापना `**	**आवंटन `**	**व्यय `**	**आवंटन `**	**व्यय `**		
2014-15								
2015-16								
2016-17								

(स) **केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः**

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

महानिरीक्षक निबंधन> जिला निबंधन> उप महानिरीक्षक निबंधक> सहायक निबंधक> मुख्य निबंधन ल पक> निबंधन ल पक

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **.....** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपनिबन्धक-द्वितीय, हल्द्वानी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-** लेखापरीक्षा इकाई से सूचनाओ का संग्रह कया गया।

राजस्व: माह 03/17 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: ..... विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- **शून्य**

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-1 टी0डी0एस0 न जमा कये जाने से राजस्व क्षति ` 1.38 लाख ।

आयकर अ धनियम, 1961 की धारा 194-1A द्वारा ` 50 लाख या उससे अ धक मूल्य के हस्तान्तरण वलेखों पर 1 प्रतिशत की दर से क्रेता द्वारा TDS का भुगतान कये जाने का प्रावधान कया गया है । कार्यालय महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्याः 535/म0नि0नि0/2013-14 दिनांक 27.08.2013 के द्वारा जब तक क TDS जमा चालान वलेख के साथ सम्बद्ध कया जाए एवं चालान को लेखपत्र का भाग बनाया जाए ।

कार्यालय उपनिबन्धक-द् वतीय, हल्द्वानी के माह 04/2016 से 03/2017 तक के अ भलेखों की जांच के दौरान पाया गया क वलेख सं0 2479 दिनांक 11.05.2016, 2480 दिनांक 11.05.2016, 2481 दिनांक 11.05.2016, 2482 दिनांक 11.05.2016 एवं वलेख सं0 2483 दिनांक 11.05.2016 को वक्रेता श्री भुवन कशन पाण्डे पुत्र स्व0 श्री दया कशन पाण्डेय निवासी न्यू एल फस्टन होटल कम्पाउण्ड, तल्लीताल, नैनीताल के द्वारा बाके ग्राम हल्द्वानी खास (शास्त्रीपुंज) अन्दर हदूद नगर निगम परगना- भावर छः खाता, तहसील जिला नैनीताल की भू म क्रेता श्री धनन्जय पुत्र श्री जटाशंकर गरी निवासी सुभाष नगर, हल्द्वानी को भूखण्ड रक्बा 191.714 वर्ग मीटर भू म को उक्त दिनांक 11.05.2016 को पांच टुकड़ों में ` 1,38,00,000 को वक्रेता के द्वारा बिक्री की गयी है । बिक्री गयी धनरा श पर नियमानुसार TDS भी देय था, जिसका भुगतान वक्रेता के द्वारा नहीं कया गया । TDS की रा श ` 1,38,000 (` 1,38,00,000 x 1%) होती है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा बताया गया क टी0डी0एस0 की कटौती क्रेता द्वारा ऐसे वलेख पर की जाती है जिसका मूल्य ` 50 लाख या उससे अ धक है । यहां मूल्य से तात्पर्य क्रेता द्वारा वक्रेता को अदा की गई धनरा श से होता है, प्रश्नगत आप त्त में कसी भी वलेख पर अदा कया गया प्रतिफल 50 लाख या उससे अ धक नहीं है ।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क वक्रयी भू म की चौहद्दी एकसमान है, जिसका ववरण निम्न हैः-

वाके ग्राम हल्द्वानी खास (शास्त्रीपुंज), अन्दर हदूद नगर निगम, परगना भावर छः खाता, तहसील हल्द्वानी, जिला- नैनीताल मं स्थित नजूल भूखण्ड रकवई 191.714 वर्ग मीटर भू म, जिसकी सीमा पूरब में- सूरज बत्रा आदि की आराजी, पश्चिम में- गरी जी का भूखण्ड, उत्तर में 18 फट चौड़ी गली तथा द क्षण में- गरी जी का भूखण्ड है ।

साथ ही सभी वलेखों में वक्रेता श्री भुवन कशन पाण्डे पुत्र स्व0 श्री दया कशन पाण्डे तथा क्रेता श्री धनन्जय गरी पुत्र श्री जटाशंकर गरी है ।

अतः स्पष्ट है क TDS से बचने के लये उक्त भूखण्डों को टुकडों में बांट कर बिक्री की गई है जिसे उपनिबन्धक ने वक्रय वलेखों के निबन्धन के समय आयकर अ धनियम की उपरोक्त धारा के तहत् TDS जमा नहीं कराया ।

इस प्रकार, टी0डी0एस0 न जमा कये जाने से राजस्व क्षति ` 1.38 लाख का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग–III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
28/2012-13	-	01 स्टेन

निष्पादन लेखापरीक्षा से संबं धत आप त्तयों मे उल्लि खत बिन्दुओं से संबं धत लेखापरीक्षा आप त्तयां इकाई को प्राप्त नही हुई। अतएव इस संबंध मे कसी प्रकार की टिप्पणी संभव नही है।

व्यय से संबन्धित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उपनिबन्धक-द्वितीय, हल्द्वानी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
   तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: ----शून्य-----
2. **सतत् अनियमितताएः** ----शून्य-----

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**
(i)	श्री महेश धर दिवेदी	उप निबंधक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उपनिबन्धक-द्वितीय, हल्द्वानी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र